न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/35/2025	2025/201	03.06.2025	27.10.2025

उनवान

1— श्रीमती तरूणा पुत्री स्व0 गुलशनलाल पत्नी श्री वेदप्रकाश निवासी मकान नंबर 4 क 273 शिवाजी पार्क आदर्श राज0 हाल राम भवन के सामने खजांची गली, कोटपूतली वर्तमान जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0

—अपीलांट

बनाम

1— तहसीलदार साहब रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज०

2— श्रीमति शीला रानी पत्नी स्व० गुलशनलाल

3— धीरज पुत्र स्व०श्री गुलशनलाल निवासी मकान नम्बर 4 क 273 शिवाजी पार्क अलवर राज०

4— ज्योति पुत्री स्व० गुलशनलाल पत्नी श्री अमन सतीजा निवासी हाल मकान नम्बर 3892, मौहल्ला तंडुवारा, सतीजा बुटिक, लक्ष्मी ऑयल मिल के पास रेवाडी (हरियाणा) 123401

—असल रेस्पोडेंट

5— नीरू उर्फ नीरजा पुत्री स्व० गुलशनलाल पत्नी श्री हरनीत अरोडा हाल निवासी मकान नम्बर 971, सैक्टर नम्बर 3, (हरियाणा) 123401

—तरतीवी रेस्पाडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) रामगढ दिनांक 16—04—2010 इंतकाल संख्या 633 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ।

उपस्थितः—

01. श्री चन्द्रभान शर्मा —वकील अपीलांट
02. श्री दीपक मीणा —राजकीय अधिवक्ता
03. श्री दलेर सिंह —वकील रेस्पोडेंट 2 ल० 4

—:: निर्णय ::—

वकील अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 16.04.2010 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 633 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलांट वकील ने लिखित बहस पेश की गई। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वद्वान वकील अपीलांट ने लिखित/मौखिक बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रामगढ द्वारा दिनांक 16—04—2010 को आज्ञा पारित कर मिन अपीलांट के पीछे से वालावाला नामांतकरण (विरासत गुलशन) संख्या 633 स्वीकार किया गया है। जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 05—08—2024 को हुई जबकि मिन अपीलांट को अपने पिता गुलशन से विरासत में प्राप्त आराजी हिस्सा 1/5 की देखभाल प्रबंध काश्त के लिए गई तो असल रेसपाडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा मिन अपीलांट के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा बताया कि उक्त आराजी से अपीलांट का कोई लेना देना किसी प्रकार का नही है। जिस पर मिन अपीलांट ने उसी दिन तहसील कार्यालय में जाकर विवादित नामांतकरण की नकल हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 07—08—2024 को प्राप्त हुई जिसके उपरांत अपीलांट ने वकील साहब से सलाह व मश्वरा किया तो उन्होने तुरन्त यह अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिससे यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारणो से हुई है। इसलिए आज्ञा दिनांक 16–04–2010 से जानकारी की तारीख दिनांक 05–08–2024 तक का समय धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विवादित इंतकालाधीन आराजी अपीलांट व रेस्पाडेन्ट संख्या 3, 4 व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 5 के पिता एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के पति श्री गुलशन पुत्र पोखरदास की कब्जे काश्त खातेदारी की थी। जिनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजी का नामांतकरण रेस्पाडेनट संख्या 1 द्वारा बालाबाला एक मात्र असल रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ल. 4 के नाम स्वीकार किया गया है। जबकि गुलशन के परिवार का सजरा में पत्नि शीला पुत्र धीरज, पुत्री ज्योती, नीरू, तरूणा वारिसान है। श्री गुलशन पांच विधिक व जायज वारिसान है जिन्हे विवादित इंतकालधीन आराजी बहिस्सवा बराबर बराबर अपने पति व पिता गुलशन से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार मिन अपीलांट अपने पिता से विरासत में प्राप्त 1/5 हिस्सा आराजी पर बतोर वारिस काबिज काश्त है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 ल. 4 चतुर व चालाक है जिन्होने अधिनस्थ न्यायालय से बेजा साजबाज होकर मृतक गुलशन की सम्पूर्ण आराजी का विरासत इन्तकाल सं. 633 तन्हा अपने नाम विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज वो तस्दीक करा लिया जो काबिल निरस्तनीय है। असल रेस्पोडेंट संख्या 2 ल. 4 व अधिनस्थ न्यायालय को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार किसी प्रकार का नही था तथा उक्त विवादित आराजी हिन्दू परिवार की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है। जिस आराजी में अपीलांटा एवं तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 5 का भी हिस्सा है जिस स्थिति में असल रेस्पोडेंट संख्या 2 ल. 4 को अपने नाम इंतकाल दर्ज कराने का अधिकार नही था। उक्त इंतकाल बिना अधिकार के कराया गया है जिससे रेस्पोडेंट को कोई अधिकार किसी प्रकार के प्राप्त नही होते है जिस स्थिति में इंतकाल दर्ज किया जाना न्याय संगत नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना व नोटिस किसी प्रकार का नही दिया तथा अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी तथा उक्त विधि विरूद्ध स्वीकार किये गये इंतकाल से अपीलांट के हित प्रभावित होते है तथा अपीलांट का उक्त आराजी में हित निहित है और मोके पर कब्जा काश्त है चूँकि अपीलांट गुलशन की जायज व कानूनी वारिसान है इसलिए अपीलांट को अपने हितो की रक्षार्थ अपील दायर करना आवश्यक है जिसकी इजाजत दिया जाना आवअश्यक है इस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रामगढ जिला अलवर राज० की आज्ञा दिनांक 16–04–2010 बाबत इंतकाल संख्या– 633 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर निरस्त फरमाया जाकर गुलशन की विरासत का नामंतकरण सभी वारिसान अपीलांट व असल रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ल. 4 तथा तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 5 के नाम बहिस्सा बराबर स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान करें।

रेस्पोडेंट राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत वारिसान की जांच की जाकर नामांकरण संख्या 633 दिनांक 16.04.2010 को दर्ज व तस्दीक किया गया है जो उचित एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

वकील रेस्पोडेंट सं. 2 ल. 4 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया है कि अपीलांट को अधि० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2010 नाम० सं. 633 दर्ज करने की जानकारी पूर्व से ही थी परन्तु अपीलांट द्वारा जानबूझकर करीब 14 वर्ष बाद अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की गई है। विलम्ब से पेश की गई अपील का कोई औचित्य पूर्ण कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जाँच की जाकर नियमानुसार मृतक रोशन लाल के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज व स्वीकार किया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 16.04.2010 नामांतकरण सं. 633 अपीलांट के पीछे से बालाबाला मृतक गुलशन के असल वारिसान रेस्पोडेंट सं. 2 ल. 4 के नाम दर्ज व तस्दीक कर दिया गया जबकि मृतक गुलशन के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

वारिसान में अपीलांट पुत्री व तरतीबी रेस्पोडेंट पुत्री को छोड कर दर्ज किया गया है अधिनरथ न्यायालय ने उक्त नामांतकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना व नोटिस किसी प्रकार का नहीं दिया गया तथा अपीलांट अधिनरथ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थी तथा उक्त विधि–विरूद्ध स्वीकार किये गये इंतकाल से अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं। चूंकि अपीलांट गुलशन की जायज व कानूनी वारिसान है। इसलिए अपीलांट को अपने हितों कि रक्षार्थ अपील दायर करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को बिना सुने ही उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट के उपरोक्त कथन न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है एवं इसके बाद प्रार्थना पत्र दफा 05 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2010 को पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 05.08.2024 को हुई उक्त विवादित नामांतरण की नकल हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.08.2024 को पेश किया गया जिसकी नकल दिनांक 07.08.2024 को प्राप्त हुई। इसके उपरान्त अपीलांट ने सलाह मशवरा किया जाकर अपील दिनांक 16.08.2024 को पेश की गई। अपीलांट ने बिना देरी के निर्णय की जानकारी तारीख से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। दिनांक 05.08.2024 से दिनांक 16.08.2024 तक समय अपीलाण्ट नेकनियति युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने पर काबिल माफी तथा मुजरा दिये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा लगभग 14 वर्ष विलम्ब से न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है परन्तु अपीलाण्ट का अपील में हित निहित होने पर एवं माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टांतों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलंब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2010 नामांतकरण सं. 633 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ स्वीकार किया गया है जिसके संबंध में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी और न ही अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया, न ही मौके और कब्जे कास्त की जानकारी किये बगैर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामांतकरण मृतक गुलशन लाल के असल वारिसान रेस्पोडेंट सं. 2 ल. 4 के पक्ष में दर्ज व तस्दीक कर दिया गया जो विधि–विरूद्ध तरीके से दर्ज व तस्दीक कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त विवादित आराजी हिन्दू परिवार की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है जिस आराजी में अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेंट सं. 5 का भी हिस्सा है। अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेंट मृतक गुलशन लाल की जायज पुत्री व कानूनी वारिस है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश मृतक गुलशन लाल के विधिक वारिसान की जांच किये बगैर एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर ही पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश त्रुटी–पूर्ण होना पाया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू०अ०) रामगढ के आदेश दिनांक 16.04.2010 नामांतकरण सं. 633 वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांट के पिता गुलशन के वारिसान की विधिवत जांच कर एवं उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर अलवर (राज०)
राजस्थान